न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 122/2013 निर्णय दिनांकः

ऑनलाईन नंबर 2016/000162

बेगराज उर्फ बेगाराम पुत्र हनुमानाराम जाति ब्राहम्मण निवासी भींवसर तहसील सरदारशहर जिला चुरू हाल मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर। –वादी–

बनाम

1. भंवरलाल 2. नानूराम 3. बुलाराम 4. मोहनराम 5. सोहनराम 6. डूंगरराम 7. नारायणराम 8. हनुमान पुत्र लाभूराम जाति जाट निवासी भींवसर तहसील सरदारशहर जिला चुरू हाल सहरिया बास नेहरू, पार्क के पास लाडनूं जिला नागौर 9. छोटी पत्नी भगवानाराम (पुत्री लाभूराम) जाति जाट निवासी दूंकर तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू 10. शांति पत्नी भंवराराम (पुत्री लाभूराम) जाति जाट निवासी मोटर स्टैण्ड के पास, दो नंबर फाटक के पास, सुजानगढ जिला चुरू 11. गोपालराम पुत्र गोविन्दराम जाति जाट निवासी ग्राम मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ 12. राजेश 13. रमेश 14. पूनम पुत्रगण/पुत्री किशनाराम जाति जाट निवासीगण मोमासर पता गोपालराम पुत्र गोविन्दराम जाति जाट निवासीगण मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 15. रूकमणी पत्नी हरजीराम (पुत्री गोविन्दराम) जाति जाट निवासी ग्राम जीवणदेसर तहसील सरदारशहर जिला चुरू 16. लाली पत्नी पालाराम (पुत्री गोविन्दराम) जाति जाट निवासी जीवणदेसर तहसील सरदारशहर जिला चुरू 17. मीरां पत्नी डालूराम पुत्री गोविन्दराम जाति जाट निवासी ग्राम सिमसिया तहसील रतनगढ जिला चुरू 18. संतोष पत्नी बुद्धाराम पुत्री गोविन्दराम जाति जाट निवासी सिमसिया तहसील रतनगढ जिला चुरू 19. गोदावरी पत्नी देवाराम पुत्री मोटा जाति ब्राहम्मण निवासी आथूणा बास, दो नंबर फाटक के पास, सुजानगढ जिला चुरू 20. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर । –प्रतिवादीगण–

उपस्थितिः–

1. श्री पूनमचन्द मारू अभिभाषक वादी
2. प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 19 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही।

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा नंबर 1743 तादादी 23.09 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ में 1/3 हिस्सा की खातेदारी वादी के

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

नाम से है तथा 1/4 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 ता 10 के नाम से तथा 8/54 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 11 गोपालराम के नाम से तथा 8/54 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 के नाम से तथा 8/54 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 15 ता 18 के नाम से तथा 1/9 हिस्सा की खतेदारी प्रतिवादी संख्या 19 गोदावरी के नाम से है। वादगत खेत का मौखिक विभाजन प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 के पिता किसनाराम के जीवनकाल से वादी व प्रतिवादीगण के मध्य करीब 20 वर्ष पूर्व हो गया था। मौखिक विभाजन के अनुसार वादगत खेत की उतरी–पूर्वी 1/3हिस्सा भूमि वादी के हिस्सा पांति में दे दी गई थी तब से वादी मौखिक विभाजन अनुसार 1/3 हिस्सा में आई भूमि पर काश्त करता आ रहा है वादी ने अपने हिस्सा भूमि के चारों तरफ पटिटया लगा रहखी है। वादगत खेत के उतर पूर्वी भूमि 1/3 हिस्सा पर वादी का ही कब्जा काश्त व अधिकार मौखिक विभाजन अनुसार चला आ रहा है। वादी ने उक्त भूमि में सुधार कर काश्त योग्य बनाया है। वादी ने अपने हिस्सा की इस भूमि पर सुधार करने में लाखों रूपये खर्च किए है। वादगत खेत के उतर पूर्वी हिस्सा पर वादी का ही कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग मौखिक विभाजन अनुसार चला आ रहा है। वादगत भूमि का रेकार्ड में विभाजन नहीं होने से वादी को काफी परेशानी हो रही है। वादी मौखिक विभांजन के अनुसार रेकार्ड में विभाजन हुए बिना अपने खेत में कुंआ नही बना पा रहा है ना ही कृषि कनेक्शन ले सकता है ना ही किसी बैंक या वितीय संस्था से बिना सहखातेदारान की सहमति से ऋण ले सकता है। वादगत खेत के काफी सहखातेदारान हो गये है। वादी को रिकार्ड में विधिवत रूप से विभाजन करायें बिना काफी परेशानी हो रही है। वादी ने प्रतिवादीगण से मौखिक विभाजन अनुसार सहमति से विभाजन करवाकर वादी का हिस्सा रिकार्ड में अलग करवानें को कहा तो प्रतिवादीगण मौखिक विभाजन अनुसार विभाजन करवानें व वादी के 1/3 हिस्सा में आई उतरी पूर्वी हिस्सा भूमि को अलग करवानें से दिनांक 14.06.2013 को इन्कार हो गये। यही दावा का हेतु है। वादगत खेत की 1/3 हिस्सा की खातेदारी वादी की होने से वादी को वादाधार हासिल है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि खेत खसरा नंबर 1743 तादादी 23.01 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ के उतरी पूर्वी 1/3 हिस्सा भूमि वादी के हिस्सा पांति की घोषित करी जाकर विभाजन की डिक्री आज्ञाप्त कर राजस्व रिकार्ड में वादी का 1/3 हिस्सा अलग से दर्शित करनें व तदनुसार अलग एक्स में तरमीम करनें करनें का आदेश प्रतिवादी संख्या 20 तहसीलदार को दिया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 के सम्मन अदम तामिल प्राप्त होने पर दिनांक 06.02.2015 को अखबार साया तलबी जारी होने पर दिनांक 20.03.2015 को प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करनें का अवसर प्रदान किया गया। वादी द्वारा पी.डब्ल्यू–1 बेगाराम के बयान लेखबद्ध करवायें एवं और कोई ग्वाह पेश नहीं करने का निवेदन किये जाने पर साक्ष्यवादी बन्द की गई। पत्रावली में अन्तिम बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोन किया गया। तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसमें वादी द्वारा किसी प्रकार की आपति जाहिर नहीं की गई है। वादी वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार श्रीडूंगरगढ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी एवं प्रतिवादी के खाते का विभाजन निम्नानुसार कियां जाता है :–

क्र. स.	वर्तमान खातेदार	प्रस्तावित खातेदार			
		प्रस्तावित ख.न.	रकबा / किस्म	लगान	नाम खातेदार
01	बेगाराम पुत्र हनुमानाराम हि. 1/3 जाति ब्राहम्मण सा. भीवांसर तह. सरदारशहर, गोदावरी पुत्री मोटा हिस्सा 1/9, गोपालराम पुत्र गोविन्दराम हिस्सा 4/27, मीरा–रूकमणी, लाल– सन्तोष पुत्रिया गोविन्दसिंह 4/27 ब.हि.ब., लिछमा पत्नी स्व. लाभूराम, छोटी–डूंगरराम–नानूराम, नारायण–बूलाराम–भंवरलाल–मोहन–शान्ति, सोहन–हनुमान पुत्र–पुत्रिया लाभूराम हि. 1/9 ब.हि.ब. पूनम–रमेश–राजेश पुत्र–पुत्रिया किशनाराम हि. 4/27 ब.हि.ब जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन बेगाराम का हिस्सा एस.बी.बी.जे शाखा मूर्तहीन खसरा नंबर 1743 रकबा 23.09 बारानी 23.09	1743 मिन उतरी–पूर्वी	बारानी 7.6997	7.70	बेगाराम पुत्र हनुमानाराम जांति ब्राहम्मण सा. भींवासर तह. सरदारशहर राहिन एस.बी.बी.जे शाखा मूर्तहीन
		1743 मिन शेष	15.3933 बारानी	15.39	गोदावरी पुत्री मोटा हिस्सा 25656/153933 गोपालराम पुत्र गोविन्दराम हिस्सा 34207/153933 व मीरा, रूकमणी, लाली, सन्तोष पुत्रिया गोविन्द हिस्सा 34207/153933 ब.हि.ब. लिछमा पत्नी स्व. लाभूराम–छोटी–डूंगरराम–नानूराम, नारायण–बूलाराम, भंवरलाल,मोहन,शान्ति,सोहन –हनुमान पुत्र पुत्रिया लाभूराम–हिस्सा 25656/153933 ब.हि.ब पूनम–राजेश–रमेश पुत्रं/पुत्रियास्व. किशनाराम हि. 34207/153933 ब.हि. ब जाति जाट सा. देह खातेदार

अन्तिम डिकी जारी हों । रहन यथावत रहेगा। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)